

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 28 मार्च 2025 शुक्रवार

सम्पादकीय

न्याय और संवेदनशीलता

विगत 17 मार्च को आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला पिछले दिनों पूरे देश में सवालों के घेरे में था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाकर न्याय की संवेदनशीलता को संबल दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर महिला संगठनों व बौद्धिक वर्गों में तल्ल प्रतिक्रिया देखी जा रही थी। यहां तक कि महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। शीर्ष अदालत के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने माना कि फैसला न केवल असंवेदनशील है बल्कि अमानवीय नजरिया भी दर्शाता है। जिसके चलते इस फैसले पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है। बेंच ने माना कि फैसला लिखने में संवेदनशीलता की कमी दृष्टिगोचर होती है। कोर्ट का मानना था कि जब फैसला चार माह तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस पर गंभीर मंथन नहीं हुआ। वहीं शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की निंदा की। दरअसल, विवाद इस बात को लेकर हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पिछिता किशोरी के स्तनों को छूना व पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के पटियाली थाना क्षेत्र में एक किशोरी से जुड़ा था, जिसके बाबत जस्टिस रामनानंद नारायण मिश्रा ने यह विवादित फैसला दिया था। इस एकल पीठ का कहना था कि मामले में तथ्यों व आरोपों के आधार पर तय करना संभव नहीं है कि बलात्कार का प्रयास हुआ था। जिसके लिये अभियोजन पक्ष को सिद्ध करना था कि अभियुक्तों का यह कदम अपराध करने की तैयारी के लिये था। दरअसल, इसी के मंद्नजर देश में फैसले के खिलाफ तल्ल प्रतिक्रिया देखी गई।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ का कहना था कि दुराचार करने की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच के अंतर को सही ढंग से समझना चाहिए। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की हल्की धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। उल्लेखनीय है कि यह घटना साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई थी। जिसमें तीन युवकों ने लड़की से बदतमीजी की थी और उसके प्राइवेट पॉर्ट्स को छुआ तथा पुल के नीचे घसीटकर उसके पायजामे की डोरी तोड़ दी। जिसे पास से गुजरने वाले ट्रैक्टर चालकों ने बचाया था। स्थानीय पुलिस से जब किशोरी के परिजनों को मदद नहीं मिली तब उन्होंने न्याय के लिये कासगंज की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जहां अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 18 लगाई गई। जिसको अभियुक्तों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी गई। माना गया कि इसका समाज में गलत संदेश जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसके चलते ही एक महिला संगठन वी द वूमन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कालांतर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वरुत सज्जान लिया। उल्लेखनीय है कि एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को पलट कर कानून की संवेदनशीलता को संबल दिया था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में कहा था कि किसी बच्चे के यौन अंगों को यौन इरादे से छूना पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन हिंसा माना जाएगा। अब चाहे इसमें तल्वा का संर्पर्क नहीं हुआ हो। कोर्ट का मानना था कि अभियुक्त का इरादा जल्दा मायने रखता है। दरअसल, इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की महिला जज ने अभियुक्त को इस आधार पर बरी करने का फैसला लिया था कि तल्वा से तल्वा का संर्पर्क नहीं हुआ था। निरसंदेह, ऐसे गंभीर मामलों में घटनाक्रम की संवेदनशीलता को मंद्नजर रखना जरूरी होता है। जिसका समाज में सकारात्मक संदेश जाए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



—प्रमोद जोशी—

नेशनल ज्यूडिशियल डेला फिड के अनुसार इस हफ्ते 28 मार्च तक देश की अदालतों में चार करोड़ 54 लाख से ज्यादा मुकदमे विचाराधीन पड़े थे। इनमें 46.43 लाख से ज्यादा केस 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। यह मान ले कि औसतन एक मुकदमे में कम से कम दो या तीन व्यक्ति पक्षकार होते हैं तो देश में करीब 10 से 15 करोड़ लोग मुकदमेवाजी के शिकार हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य व्यक्ति के नजरिए से देखें तो अदालती चक्करों से बड़ा चक्कड़य कुछ नहीं है। एक बार फंस गए, तो बरसों तक बाहर नहीं निकल सकते। सरकार और न्यायपालिका लगातार कोशिश कर रही है कि कम से कम समय में मुकदमों का निपटारा हो जाए। यह तभी संभव है जब प्रक्रियाएं आसान बनाई जाएं, पर न्याय व्यवस्था का संदर्भ केवल आपराधिक न्याय या दीवानी मुकदमों तक सीमित नहीं है। व्यक्ति को कारोबार का अधिकार देने, मुक्त वातावरण में अपना धंधा चलाने, मानवाधिकारों तथा अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी उपयुक्त न्यायिक संरक्षा की जरूरत है। उसके पहले हमें अपनी न्याय-व्यवस्था की सेहत पर भी नजर डालनी होगी, जिसके उच्च स्तर को लेकर कुछ विवाद खड़े हो रहे हैं। इस समय सवाल तीन हैं।



—मधुरेन्द्र सिन्हा—

देश की सीमाओं की रक्षा में जहां हमारे सैनिक तल्लर हैं वहीं देश में उग्रवादियों, नक्सलवादियों जैसी किंवदंती ताकतों से निपटने और उनका सक्रिया करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल तथा अन्य बल पूरी मुस्तैदी से शांति बनाये रखने में संलग्न हुए हैं। यह बल जिसे सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है। इस समय सीआरपीएफ देश में माओवादी उग्रवादियों को पूरी तरह से खत्म करने में अपने मिशन में जी जगते से जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह राज्यों में इनका आतंक खत्म करने और यहां सामान्य जलन-जीवन को बहाल करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हाल के वर्षों में इस बल ने वर्षों से उभे हुए सशस्त्र नक्सलियों को जबरदस्त चोट पहुंचाई है और उनके कई बड़े लीडर मारे गये हैं जिससे इन उग्रवादियों का मनोबल नीचे आ गया है। पिछले कुछ महीनों में दो दर्जनों नक्सली सीआरपीएफ से मुठभेड़ में मारे गये हैं। सैकड़ों हथियार पकड़े जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने तो बरादत सत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि 31 मार्च, 2026 तक देश में नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। सरकारी लड़ाई जीत करने के अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम को तेज किया और संसाधन उपलब्ध करवाये ताकि जहां के स्थानीय लोग उनसे दूरी बना लें। हिंसा के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की सरकारी नीति का अनुसरण करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन देश-विरोधी तत्वों से सख्ती से

न्याय व्यवस्था की साख के यक्ष प्रश्न



किसी एक निकाय में शक्तियों का केंद्रित होना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ऐसे मसलों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को एकसाथ आना चाहिए। सुधारों की पहल न्यायपालिका के भीतर से भी आनी चाहिए। इसलिए सकारात्मक सुझावों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

न्याय-व्यवस्था को राजनीति और सरकार दबाव से परे किस तरह रखा जाए? जजों की नियुक्ति को पारदर्शी कैसे बनाया जाए? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सामान्य व्यक्ति तक न्याय किस तरह से उपलब्ध कराया जाए? अक्सर कहा जाता है कि देख में न्यायपालिका का ही आखिरी सहारा है। पर पिछले कुछ समय से न्यायपालिका को लेकर उसके भीतर और बाहर से सवाल उठने लगे हैं। उम्मीदों के साथ कई तरह के अंदेश हैं। कई बार लगता है कि सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में देश की बागडोर है। पर न्यायिक जवाबदेही को लेकर हमारी व्यवस्था पारदर्शी नहीं बन पाई है। न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए और उसे सरकारी दबाव से भी बाहर होना चाहिए। सच यह भी है कि संविधान ने कानून बनाने और

अधिनियम का जिक्र करते हुए मंत्रालय को कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय ने रद नहीं किया होता तो 'चीजें अलग होतीं'। धनखंड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्लियमेंट के नेताओं के साथ बैठक भी की। कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह बैठक कॉलेजियम प्रणाली पर राजनीतिक दलों, खासतौर से विरोधी दलों का दृष्टिकोण जानने का प्रयास हो सकता है। सरकार ने इस सिलसिले में कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, इसलिए इस बैठक से कोई बात निकल कर नहीं आए, पर लगता है कि न्यायपालिका को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर बह आम राय भी इस समय नहीं है, जैसी 2014 में थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़ा क्विज 2014 में संसद ने पास किया था, लेकिन 2015 में उच्चतम न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। एनजेपी अधिनियम में कहा गया था कि न्यायिक नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में छह सदस्यीय निकाय द्वारा की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री

और दो 'प्रतिष्ठित' व्यक्ति शामिल होंगे। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में विरोधी दल के नेता वाले पैनल द्वारा किया जाना था। उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऐसी वैकल्पिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता जो जजों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित नहीं करती हो। वर्ष 2014 में, दोनों सदनों में, एआईएडीएमके को छोड़कर, जो मतदान में शामिल नहीं रही थी, सभी दलों ने इसका अनुमोदन किया। बाद में 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों ने, जिनमें कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा शासित राज्य भी शामिल थे, एनजेपीसी कानून का अनुमोदन किया था। पर यह आमराय तभी तक रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोधी दलों के एक चेहरे की राय है कि उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। औपचारिक रूप से ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं जो संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की अनुशंसाओं को मानते हुए ऐसा करते हैं। देश का संविधान ऐसे समय तैयार किया गया था जब राजनेताओं की ईमानदारी और लोकतंत्र के प्रति उनकी निष्ठा को लेकर बड़े संशय नहीं थे। शुरूआती वर्षों में कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के उदाहरण भी देखने को नहीं मिले। पर समय के साथ राजनीतिक माहौल बदल गया है। घूस-फिक्कर सारी बातें राजनीति पर आती हैं, जिसकी गैर-जिम्मेदारी भी जाहिर है। सवाल केवल न्यायिक प्रणाली में सुधार का ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के स्वच्छता के। वर्ष 2018 में जस्टिस जेसी चेन्नैमेकर और जस्टिस कुरियन जैकेमकर को न्यायिक सक्रियता के कारण ही बर्खास्त हो चुके। इतना ही नहीं चुनाव सुप्रीम से जुड़े अनेक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही लागू हो पाए।

—लेखक वरिष्ठ संपादक रहे हैं।

उग्रवादियों, नक्सलवादियों पर लगाम की चुनौती



निपटने की रणनीति पर काम किया है। सीआरपीएफ तथा अन्य सुरक्षा बलों को नये हथियारों से लैस करने के अलावा उन्हें उचित प्रशिक्षण दिलाने पर काम है। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और ड्रोन वगैरह के अलावा संचार के तमाम आधुनिक साधनों को उपलब्ध कराया। दरअसल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र घने जंगलों तथा दुर्गम इलाकों में स्थित हैं। वहां तक पहुंचना टेढ़ी खीर है लेकिन अब इन इलाकों में भी सड़कें बन गई हैं। लगभग 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनवाकर सरकार ने यहां जवानों को ही नहीं बल्कि आदिवासियों के आवागमन को सुचारु कर दिया है। सुकमा जैसे घनघोर इलाके में अब अंदर तक सड़कें हैं और इस वजह से अधुनिक बलों का आना-जाना संभव हो पाया है। इसके अलावा उन इलाकों में 68 ऐसे हेलीपैड भी बनवाये गये हैं जहां पर को भी हेलीकोप्टर पहुंच सके ताकि जवानों को लाया-ले जाया जा सके तथा रक्त व हथियार फौरन पहुंचाये जा सकें। बलों के शिविरों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि जवान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंच जायें। नक्सलवाद के विरुद्ध सशस्त्र लड़ाई में बीआरपी, एसटीएफ, आईटीएफ और सीआरपीएफ, राज्यों पुलिस और सिविलियन फोर्स शामिल तथा अफसरों ने दुर्गम इलाकों में अपना औपचारिक नगला और सैकड़ों से अपनी जगह की कुर्बानी दी है व यूके-यासे दुर्गम इलाकों में तैनात रहते हैं।

केंद्र ने इन संगठनों को मजबूत किया है और उन्हें नई टेक्नोलॉजी तथा हथियारों से लैस किया है। इससे नक्सलियों से दो-दो हाथ करने में उन्हें सफलता मिली है और बढ़ी लावार में नक्सली मारे गये हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में बाजमें से 300 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। ताकि संसाधनों का संकट न रहे। नक्सलवाद बढ़ने में गांवों के विकास की उपेक्षा एक बड़ा कारण था। दूर-दूरान के गांवों में विकास की सिर्फ बातें ही होती थीं और वहां कुछ नहीं होता था और नक्सली नेताओं के लिए मोले-मोले आदिवासियों को बरगलाना आसान था। उनके पास जीविका के साधन नहीं थे, शिक्षा तो दूर की बात थी। उनके अब किसानों तथा अन्य को अपनी उपज का सही मुकाबला करने का सही मुकाम मिलने लगा। उनके बनाये सामानों की डिमांड भी होने लगी और इससे उनकी आय बढ़ी। ऐसे स्कूल बनाये गये और पुरानों को फिर से चालू कर दिया गया। कई इलाकों में नक्सलियों द्वारा उड़ाये गये स्कूलों को फिर से बना दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों में अब डॉक्टर नियमित रूप से आते हैं और उन्हें आयुधन सुविधाओं से लैस किया गया है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाये गये हैं। इनसे ग्रामीणों में उनके प्रति विचारस बढा और वे नक्सलियों से दूरी बनाने लगे हैं। बहुत से इलाकों में बिजली पहुंचाई जा रही है ताकि उनकी जिनगी आसान हो और नक्सलियों को अंधेरे का फायदा न

आवाज की जादूई दुनिया में अक्सर



कीर्ति शेखर—

यू तो आवाज की दुनिया में विशिष्टकर म्यूजिक इंडस्ट्री में हमेशा से ठोस करियर मौजूद रहा है, लेकिन आज यह पहले से कहीं ज्यादा दमदार और सम्मानजनक हो चुका है, क्योंकि अब यह सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है बल्कि हमें बड़े पैमाने पर साउंड इंजीनियरिंग की भी हिस्सेदारी हो चुकी है। यह सच है कि आवाज के चाहने वाले हमेशा रहे हैं। लेकिन आवाज की इंजीनियरी की इतनी कद्र अब के पहले कभी नहीं रही। शायद साउंड इंजीनियरिंग यह सोशल मीडिया का दौर है। किसी भी किस्म का मल्टी मीडिया प्रोग्राम बिना साउंड इफेक्ट के पूरा नहीं होता। साउंड इंजीनियरिंग का काम आम आवाज को ही इस इफेक्ट की बदौलत जादूई बनाना होता है। रिक्तीडिंग, एडिटिंग व मिक्सिंग की तकनीकी व व्यावहारिक जानकारी दी जाती है। इसके अलावा छात्रों को सॉफ्टवेयर में डिजिटल, सॉफ्टवेयर तथा पीजी डिजिटल सत्र के कांस करवाए जाते हैं। इनकी जॉब फिक्स 6 घाट से 3 वर्ष के बीच है, जो कि संस्थान द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के निर्भर करता है। इन कोर्सज में एडमिशन के लिए किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता न नहीं है। जीब के विवरणजहां तक ओहदे की बात है तो आप साउंड इंजीनियर, ऑडियो इंजीनियर, स्टूडियो कंट्रोलर तथा मैनजर, मल्टीमीडिया डेवलपर तथा स्टूडियो टेक्निसियन बन सकते हैं।

इसमें इंजीनियरिंग वाली बारीकी के साथ कलाकार वाली शार्पनेस चाहिए। वजह यह है कि अच्छी आवाज की पहचान अकेले मशीन नहीं कर सकती। बहरहाल साउंड इंजीनियरिंग के तहत म्यूजिक, स्पीड और स्टूडियो के साउंड को हाई क्वालिटी का बनाया जाता है। इसी की बदौलत फिल्मों, रडियो और टेलिविजन कार्यक्रमों का न केवल सज्ज समर्थनजो बल्कि प्रभावशाली भी बनाया जाता है। शैक्षणिक योग्यताएं और आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 12वीं फिजिक्स, कोमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स से पास होना चाहिए। आप साउंड इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल करके ही और बाद में चाहे तो मास्टर डिग्री भी। साउंड इंजीनियरिंग, एडिटिंग व मिक्सिंग की तकनीकी व व्यावहारिक जानकारी दी जाती है। इसके अलावा छात्रों को सॉफ्टवेयर में डिजिटल, सॉफ्टवेयर तथा पीजी डिजिटल सत्र के कांस करवाए जाते हैं। इनकी जॉब फिक्स 6 घाट से 3 वर्ष के बीच है, जो कि संस्थान द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के निर्भर करता है। इन कोर्सज में एडमिशन के लिए किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता न नहीं है। जीब के विवरणजहां तक ओहदे की बात है तो आप साउंड इंजीनियर, ऑडियो इंजीनियर, स्टूडियो कंट्रोलर तथा मैनजर, मल्टीमीडिया डेवलपर तथा स्टूडियो टेक्निसियन बन सकते हैं।

पूर्व संख्या पर रामकोट की परिक्रमा की जाती रही है इस वर्ष भी संतो के नेतृत्व में परिक्रमा होगी जिसमें अयोध्या या सभी संत महंत सम्मिलित होंगे। राम मंदिर की झांकी परिक्रमा में सम्मिलित होगी प्रमुख मंदिरों सभी राज्यातीय बांधों के मंदिरों उनके महापुरुषों की झांकी भी सम्मिलित होगी और इसी दिने अयोध्या के सभी मंदिरों में नवाहा पारायण भी प्रारंभ हो जाएगा, प्रभु श्री राम ललाच की भाव जगमोत्सव मनाया जाएगा जन्म के समय तो 12 सुर्य भावावन करेगी राम का अपने करने से तिलक करेगी 40 मिनट का होगा सातान धर्म के लोग इसका दर्शन करेगे।

